FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **अशोक कुमार व्यास** बनाम **सरकार जरिये एसएचओ रामगढ़**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी आर बी एक्ट**

प्रा0पत्र नम्बर 15/50/2024 दायर दिनांक 16.05.2024

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.06.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन टाटा ऐस गोल्ड रजि0 संख्या आर.जे.–02–जीसी–2217 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी थाना रामगढ़ अलवर से अभिशंषा/टिप्पणी ली गयी। मुकामी थानाधिकारी द्वारा पत्रांक 2641 दिनांक 23.05.2024 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि प्रकरण में जप्तशुदा वाहन को नियमानुसार सुपुर्दगी पर दिये जाने की अनुसंशा की जाती है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी श्री अशोक कुमार व्यास द्वारा प्रा0पत्र सुपुर्दगी जरिये मुख्त्यारआम टाटा मोटर्स फाईनेंस लिमिटेड पेश किया गया। प्रार्थी द्वारा पत्रावली में वाहन का स्वामी कौन है, के संबंध में कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये गये है। ना ही प्रार्थी द्वारा जप्तशुदा वाहन की आर.सी. की प्रति पेश की गई है। थानाधिकारी थाना रामगढ़ द्वारा अपनी अभिशंषा/टिप्पणी के साथ वाहन की आर.सी. संलग्न कर पेश गई है। आर.सी. के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाहन का रजिस्ट्रेशन अशोक कुमार व्यास अथवा टाटा मोटर्स फाईनेंस लि0 के नाम से ना होकर किसी व्यक्ति पप्पू पुत्र प्रभू निवासी सेमली, भरतपुर राज0 के नाम से है। इस कारण जप्तशुदा वाहन को वाहन स्वामी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाना उचित नहीं समझते है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा0पत्र सुपुर्दगी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। जिला कलक्टर अलवर	